निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़ 1945 (श0)

(सं0 पटना 564) पटना, मंगलवार, 11 जुलाई 2023

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

11 जुलाई 2023

सं० वि०स०वि०–06/2023– **2583**/वि०स०।— ''बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 11 जुलाई, 2023 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

[वि०स०वि०-06/2023]

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।–

(1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 10 का संशोधन।– बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् **''मूल अधिनियम''** कहा गया है) की धारा 10 में :–

(क) उपधारा (2) के खंड (घ) में, ''माल या'' शब्दों का लोप किया जाएगा,

(ख) उपधारा (2क) के खंड (ग) में, ''माल या'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. धारा 16 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में,–

(i) दूसरे परन्तुक में, ''उस पर ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा'' शब्दों के स्थान पर, ''धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा'' शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) तीसरे परंतुक में, ''उसके द्वारा किए गए संदाय'' शब्दों के पश्चात् ''उसके द्वारा आपूर्तिकर्ता को किए गए संदाय'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 17 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 17 में,–

(क) उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में, ''अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।'' शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

'' (i) अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य ; और

(ii) अनुसूची 3 के पैरा 8 के खंड (क) के संबंध में ऐसे कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य, जो विहित किए जाए के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा'',

(ख) उपधारा (5) के खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(चक) कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए माल या सेवाओं या दोनों का, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा **135** में निर्दिष्ट निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं से संबंधित कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं ;''।

5. धारा 23 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी एवं दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित समझी जायेगी अर्थात :–

''(2) धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुये भी सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाय, उन व्यक्तियों की श्रेणी निर्दिष्ट कर सकती है, जिन्हें इस अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त करने से छूट हो।''

6 धारा 30 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में,–

(क) शब्दों ''30 दिनों के अन्दर विहित तरीके से निबंधन के रद्दीकरण आदेश के सेवा की तारीख की अवधि'' को शब्दों ''ऐसे तरीके एवं ऐसे समय और विहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) परंतुक का लोप किया जायेगा।

7. **धारा 37 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे, उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए उक्त ब्यौरों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।''।

8. **धारा 39 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :––

''(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।''।

9. **धारा 44 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 44 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, उपधारा (1) के अधीन वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उक्त वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।''।

10. **धारा 52 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(15) किसी प्रचालक को, उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् भी उक्त विवरण प्रस्तुत करना अनुज्ञात कर सकेगी।''।

11. **धारा 54 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (6) में, ''जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है,'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

12. **धारा 56 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 56 में, ''आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक'' शब्दों के स्थान पर ''आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के पश्चात् की तारीख से हुए विलम्ब की अवधि के लिए, ऐसी रीति से एवं ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो विहित की जायें,'' शब्द रखे जाएंगे।

13. **धारा 62 का संशोधन।**–मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) में,–

(क) शब्द **''ती**स दिन'' को शब्द ''साठ दिन'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

''परंतु यह कि जहाँ निबंधित व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण आदेश के संसूचन के साठ दिनों के अन्दर वैध विवरणी दाखिल करने में विफल रहा हो, वहाँ वह उक्त विवरणी उक्त कर निर्धारण के संसूचन के साठ दिनों के पश्चात् अगले साठ दिनों की अवधि तक ऐसे विलम्ब की अवधि हेतु एक सौ रूपये प्रतिदिन के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के साथ दाखिल कर सकेगा एवं यदि वह इस विस्तारित अवधि की समाप्ति के पूर्व वैध विवरणी दाखिल कर देता है तो उक्त कर निर्धारण आदेश को वापस लिया जाना माना जाएगा परंतु अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज भुगतान करने अथवा अधिनियम की धारा 47 के अधीन विलम्ब शुल्क का दायित्व लागू रहेंगे।''।

14. धारा 109 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।–मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर निम्न धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः–

''109. अपीलीय न्यायाधिकरणों और उनकी पीठों का गठन।–इस अध्याय के प्रावधानों के अध्यधीन, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत गठित माल एवं सेवा कर न्यायाधिकरण इस अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिये अपीलीय न्यायाधिकरण होगा।''

15. धारा 110 एवं 114 का लोप।– मूल अधिनियम की धारा 110 एवं धारा 114 का लोप किया जाएगा।

16. धारा 117 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 117 में,–

(क) उपधारा (1) में शब्दों ''राज्य पीठ या अपीलीय प्राधिकरण की क्षेत्रीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''राज्य पीठों'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएगें।

(ख) उपधारा (5) के खंड (क) एवं (ख) में शब्दों ''राज्य पीठ एवं क्षेत्रीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''राज्य पीठों'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

17. **धारा 118 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 118 की उपधारा (1) के खंड (क) में शब्दों ''राष्ट्रीय पीठ या अपीलीय प्राधिकरण की प्रांतीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''प्रधान पीठ'' प्रतिस्थापित की जाएगी।

18. धारा 119 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 119 में,–

(क) शब्दों ''राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''प्रधान पीठ'' प्रतिस्थापित की जाएगी।

(ख) शब्दों ''राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों'' के स्थान पर शब्द ''राज्य पीठों'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

19. **धारा 122 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 122 में, उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(1ख) कोई इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो –

(i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने के लिए अनुज्ञात करता है :

(ii) इसके माध्यम से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति अनुज्ञात करता है, जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है ; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की किसी जावक पूर्ति के सही ब्यौरे धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में प्रस्तुत करने में विफल रहता है,

तो वह दस हजार रूपए या अंतर्वलित कर की रकम, यदि ऐसी पूर्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई होती, के समतुल्य रकम, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।''।

20. **धारा 132 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,–

(क) खंड (छ), खंड (ञ) और खंड (ट) का लोप किया जाएगा :

(ख) खंड (ठ) में, ''खंड (क) से खंड (ट)'' शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, ''खंड (क) से खंड (च) और खंड (ज) तथा खंड (झ)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) खंड (iii) में, ''जहां कर अपवंचन'' शब्दों के स्थान पर, ''खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की दशा में, जहां कर अपवंचन'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (iv) में, ''या खंड (छ) या खंड (ञ)'' शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा।

21. **धारा 138 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की धारा 138 में,–

(क) उपधारा (1) के पहले परंतुक में,–

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–
''(क) किसी व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च), खंड (ज) और खंड (झ) तथा खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किन्हीं के संबंध में शमन के लिए एक बार अनुज्ञात किया गया है;'',

(ii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–
''(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त रहा है ;'',

(iv) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में ''न्यूनतम दस हजार रूपए या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत से, इनमें से जो भी उच्चतर हों, के अधीन रहते हुए और अधिकतम रकम तीस हजार रूपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी उच्चतर हो,'' शब्दों के स्थान पर ''अंतर्वलित कर के पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम रकम अंतर्वलित कर के सौ प्रतिशत से अनधिक'' शब्द रखे जाएंगे।

22. नई धारा 158क का अंतःस्थापन।– मूल अधिनियम की धारा 158 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''158क. कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सम्मति के आधार पर साझा करना।– (1) धारा 133, धारा 152 और धारा 158 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित ब्यौरों को, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, सामान्य पोर्टल द्वारा सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, साझा किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रस्तुत या धारा 39 या धारा 44 के अधीन दाखिल की गई विवरणी में प्रस्तुत की गयी विशिष्टियाँ;

(ख) बीजक के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियाँ, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरे और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियाँ;

(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्यौरों को साझा करने के प्रयोजनों के लिए,–

(क) उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में पूर्तिकर्ता की सहमति; और

(ख) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन और उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की सहमति केवल जहां ऐसे ब्यौरों के अंतर्गत प्राप्तिकर्ता की पहचान संबंधी जानकारी भी है, ऐसे प्ररूप और रीति में अभिप्राप्त की जाएगी, जो विहित की जाए।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के पारिणामिक उद्भूत होने वाले किसी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा सुसंगत पूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर संदाय करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा।''।

23. **मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में कतिपय क्रियाकलापों और संव्यवहारों के लिए भूतलक्षी छूट।**– मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 7 और पैरा 8 और उसके स्पष्टीकरण 2 (बिहार अधिनियम 14, 2018, की धारा 31 द्वारा यथा अंतःस्थापित) को 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

(2) ऐसे सभी कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसे संग्रहित किया गया है किन्तु जिसे संग्रहित नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत हुई होती।

वित्तीय संलेख

प्रस्तावित बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 में राज्य की संचित निधि से कोई आवर्ती या गैर–आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

विजय कुमार चौधरी,
भार–साधक सदस्य।

उद्देश्य एवं हेतु

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल और सेवा कर प्रणाली लागू है। तद्नुसार राज्य में भी बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 प्रख्यापित किया गया है।

इस नई कर प्रणाली के लागू किये जाने के उपरान्त इसके कतिपय प्रावधानों को लेकर कठिनाईयाँ प्रकाश में आयीं। इन पर जीएसटी परिषद् की बैठकों में विचार किया गया। तद्नुसार संसद द्वारा यथा पारित वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की कई धाराओं में संशोधन किये गये है। वित्त अधिनियम, 2023 भारत के राजपत्र में दिनांक 31 मार्च, 2023 को प्रकाशित भी किया जा चुका है।

चूंकि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा राज्य माल और सेवा कर अधिनियम एक दूसरे के प्रतिबिंब (Mirror Image) हैं। अतः केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में किये गये किसी भी संशोधन के आलोक में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन किया जाना वांछनीय है।

प्रस्तावित (संशोधन) विधेयक के माध्यम से बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की कई धाराओं में संशोधन किया गया है, कई धाराओं के स्थान पर नई धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया है एवं कतिपय धाराओं का लोप किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिसूचनाओं में भूतलक्षी रूप से संशोधन किया गया है और कतिपय मामलों में जीएसटी से भूतलक्षी से छूट दी गई है।

प्रस्तावित (संशोधन) विधेयक के माध्यम से किये गये संशोधनो में ई–कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से केवल मालों के आपूर्ति करने वाले करदाताओं को कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प उपलब्ध कराना, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रतिबंधों को विस्तारित करना, निबंधन रद्दीकरण को समाप्त किये जाने हेतु आवेदन दाखिल किये जाने के लिए अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय सीमा को समाप्त करते हुए इस हेतु नियम विहित किये जाने का प्रावधान, आउटवार्ड सप्लाई के ब्यौरे, मासिक विवरणी, वार्षिक विवरणी एवं ई–कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा दाखिल किये जाने वाले विवरणी दाखिल किये जाने हेतु तीन वर्ष की समय सीमा का निर्धारण, विलम्ब से किये गये रिफण्ड के मामलों में ब्याज की गणना हेतु रीति विहित किया जाना, कर निर्धारण के उपरांत विवरणी दाखिल करने हेतु करदाता को उपलब्ध समय सीमा का विस्तार, माल और सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण के गठन से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन, कतिपय मामलों को अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों की श्रेणी से बाहर किया जाना एवं बगैर इनवायॅस के मालों या सेवाओं की आपूर्ति को छोड़ कर शेष मामलों में अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन शुरु करने की मौद्रिक सीमा (Monetary Limit) का विस्तार मुख्य रूप से शामिल है।

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

विजय कुमार चौधरी,
भार–साधक सदस्य।

पटना
दिनांक 11–07.2023

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 564-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in